हिन्दुस्तान 24-03-2018

गंगा प्रदूषित नहीं कर पाएंगी चीनी मिलें

एनएसआई कार्यशाला

कानपुर | कार्यालय संवाददाता

चीनी मिलें अब दूषित जल गंगा में नहीं डाल पाएंगी। नए चार्टर के अनुसार इन मिलों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। समिति के अध्यक्ष प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल को लेकर चार्टर तैयार हुआ है।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में शुक्रवार को एक कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने किया। निदेशक ने बताया कि गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण का एक बड़ा कारण चीनी मिलें भी हैं। मिलों का दूषित जल सीधे गंगा में गिरता है। केंद्र ने गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए इन मिलों पर नकेल कसने के लिए एक समिति बनाई है। समिति की अगुवाई प्रो. नरेंद्र मोहन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समिति में आईआईटी, बीएचयू, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि कार्यशाला में ताजे पानी की खपत, दूषित जल की मात्रा, उसकी गुणवत्ता को लेकर चर्चा हुई। गन्ने में लगभग 70 फीसदी पानी होता है, जिसमें से अधिकांश चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। चीनी मिलें प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रही हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चार्टर तैयार हुआ है। इसी के अनुसार चीनी मिलों पर कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में जेपी श्रीवास्तव, अजीत विद्यार्थी और आरवी दानी ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कार्यशाला में सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण प्रकोष्ठ स्थापित करने पर जोर दिया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

शुक्रवार को एनएसआई में चार्टर को लेकर कार्यशाला में बोलते जेपी श्रीवास्तव।

शुक्रवार को एनएसआई में चार्टर को लेकर कार्यशाला में मौजूद लोग।

इन बिंदुओं का कराया जाएगा पालन

- सफेद शुगर बनाने वाली चीनी मिलें 200 लीटर/टन गन्ने की दर से दूषित पानी मिलों के बाहर भेज सकते हैं। इन मानकों को थोड़ा और कड़ा किया गया है। सितंबर 2018 तक 180 लीटर/टन और मार्च 2019 तक 160 लीटर/टन गन्ने की दर से ही चीनी मिलें दूषित पानी बाहर निकाल सकेंगी।
- ताजे पानी की खपत कम करें चीनी मिलें। सितंबर 2018 तक 50 लीटर/टन और मार्च 2019 तक 30 लीटर/टन गन्ने पर लाना होगा।
- सभी चीनी मिलों पर बोरवेल से लिए जा रहे पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए फ्लोमीटर लगाना होगा। साथ बाहर निकल रहे पानी को लेकर भी फ्लोमीटर लगाना होगा।
- दूषित जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कंडेनसेट पालिसिंग यूनिट और कूलिंग टॉवर लगाना होगा।
- सफेद शुगर बनाने वाली चीनी मिलें सल्फेट रिमूवल सिस्टम और रिफाइंड शुगर बनाने वाली चीनी मिलें ब्राइन रिकवरी सिस्टम जरूर लगाएं।
- सभी चीनी मिलें दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए टेरटरी ट्रीटमेंट प्लान लगाएं। मानक के अनुसार मिलों से निकलने वाले इफ्लूएंट में बीओडी की मात्रा 30 एमजी/लीटर और टीडीएस की मात्रा 1900 एमजी/लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आज 24-03-2018

चीनी मिलों से निकलने वाला दूषित जल गंभीर विषय

कार्यशाला में विचार व्यक्त करते विशेषज्ञ। छाया: आज

कानपुर, 23 मार्च। एनएसआई के सभागार में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विभिन्न मुद्दों व ताजे पानी की खपत, दूषित जल की माला व उसकी गुणवत्ता और तकनीकि बिन्दुओं के साथ ही पानी की खपत, दूषित जल की माला के उत्सर्जन को कम किया जा सकेता है एवं दूषित जल का शोधन करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहाकि गन्ना में 70 प्रशित पानी होता है, जिसमें अधिकांश चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। चीनी मिलें प्राकृतिक स्रोतो का अंधाधुध दोहन कर अधिक माला में ताजे पानी का इस्तेमाल करती है। चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल की माला एव उसकी गुणवत्ता एक गंभीर विषय है। यह चार्टर इस स्थिति में एक आमूल-चूल परिवर्तन करने हेतु बनाया जा रहा है। विभिन्न बिन्दुओ पर विस्तार से चर्चा की। गंगा बेसिन में स्थित चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल की माला एवं उनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण करने हेतु एक चार्टर बनाने के लिए गठित एक समिति का गठन एनएसाई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, चीनी मिलों व अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं।

राष्ट्रीय सहारा 24-03-2018

चीनी मिलों के प्रदूषण की रोकथाम को बनेगा चार्टर

कानपुर (एसएनबी)। गंगा बेसिन क्षेत्र में चीनी मिलों के दूषित उत्प्रवाह से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'चार्टर' बनाने की कवायद राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) ने तेज कर दी है। इस क्र म में शुक्रवार को संस्थान में एक सेमिनार आयोजित कर 'चार्टर' को अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया।

सेमिनार में गंगा बेसिन क्षेत्र में स्थित उप्र, उत्तरांचल व बिहार के चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ ही विषय विशेषज्ञों ने भागीदारी की। सेमिनार में चीनी मिलों के उत्प्रवाह, ताजे पानी की खपत, दूषित जल की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता तथा तकनीक के माध्यम से ताजे पानी की खपत व दूषित जल के उत्सर्जन की मात्रा कम करने, दूषित जल को शोधित करने प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गयी। चीनी मिलों के दूषित उत्प्रवाह को कम-शोधित करने के लिए 'चार्टर' निर्माण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन व एनएसआई निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन ने इस मौके पर वर्तमान में चीनी मिलों द्वारा की जा रही ताजे पानी की खपत व दूषित जल की मात्रा पर विंता जतायी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूषित जल की मात्रा व गुणवत्ता के संदर्भ में मानकों को और अधिक कठोर,लेकिन व्यवहारिक बनाना जरूरी है, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। उन्होंने बताया कि गन्ना में लगभग 70 प्रतिशत पानी होता है, जिसमें से

सुगर इंस्टीट्यूट में बैठक करते निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन। फोटो : एसएनबी

अधिकांशतः चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद भी चीनी मिलें प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर अधिक मात्रा में ताजे पानी का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 'चार्टर' इस स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक को सौंपी जिम्मेदारी

'चार्टर' निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं एनएसआई निदेशक

भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों के दूषित उत्प्रवाह से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए 'चार्टर' बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के चेयरमैन एनएसआई निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन हैं। समिति में आईआईटी-बीएचयू, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चीनी मिलों एवं संबद्ध उद्योगों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

प्रस्तावित 'चार्टर' के मुख्य बिन्दु

- वर्तमान में चीनी मिलों के उत्सर्जन के संदर्भ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक मानक की जगह चीनी मिलों को चार श्रेणियों में विभाजित कर अलग-अलग मानक का प्रस्ताव।
- प्लांटेशन व्हाइट शुगर बनाने वाली चीनी मिलों को 200 लीटर प्रति टन गन्ना दूषित जल उत्सर्जन को घटाकर सितंबर, 18 तक 180 लीटर व मार्च, 19 तक 160 लीटर करनी होगी।
- ताजे पानी की खपत को नियंत्रित कर सितंबर, 18 तक 50 लीटर प्रति टन गन्ना व मार्च, 19 तक 30 ली./टन गन्ना पर लाना होगा।
- चीनी मिलों को बोरवेल से लिये जा रहे पानी एवं उसके विभिन्न स्थानों पर उपयोग व उत्सर्जन पर नियंत्रण रखने हेतु फ्लोमीटर लगाना होगा।
- ताजे पानी की खपत को कम करने एवं दूषित जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना होगा।
- प्लांटेशन व्हाइट शुगर बनाने वाली चीनी मिलों का 'सल्फेट रिमूवल सिस्टम' एवं रिफाइंड शुगर बनाने वाली मिलों को 'ब्राइन रिकवरी सिस्टम' लगाना होगा।
- सभी चीनी मिलें दूषित जल को शोधित करने के लिए 'टेरटियरी ट्रीटमेंट प्लांट' भी लगायेंगे। प्रस्तावित मानकों के अनुसार चीनी मिलों से निकलने वाले इफ्लुयेंट में बीओडी की मात्रा 30 एमजी/ली. एवं टीडीएस की मात्रा 1900 एमजी/ली. से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सभी चीनी मिलों द्वारा एक 'पर्यावरण प्रकोष्ठ' भी स्थापित किया जाएगा। इससे प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट' का संचालन व दूषित जल की सही जांच का काम संभव हो सकेगा
- चीनी मिलों द्वारा की जा रही कार्यवाही का समय-समय पर संदर्भित संस्थाओं निरीक्षण।

अमर उजाला 24-03-2018

चीनी मिलों को स्थापित करना होगा पर्यावरण प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में हुई केंद्र सरकार की समिति की बैठक, मिलों के लिए तय किए अलग-अलग मानक

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। देशभर की चीनी मिलों को अब अपनी फैक्ट्री में इनवायरमेंटल सेल स्थापित करना होगा। शुक्रवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति की अध्यक्षता एनएसआई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने की। प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि सरकार ने चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए चार्टर तैयार करने की जिम्मेदारी इस समिति को दी है। इसमें आईआईटी बीएचयू, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने

शुक्रवार को बैठक कर चीनी मिलों के लिए चार्टर तैयार कर लिया। प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि एनएसआई व केंद्रीय समिति की ओर से तय किए गए मानकों पर कार्य न करने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आठ चीनी मिलों को क्लोजर नोटिस भी जारी किया है। इसमें मवाना (मेरठ), असमौली (मुरादाबाद), सकौती टांडा (मेरठ) प्रमुख है।

तय हुए ये मानक

चार्टर में चीनी मिलों को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चीनी बनाने के तरीकों पर इनका विभाजन किया गया है।

वर्तमान में प्लांटेशन व्हाइट शुगर बनाने वाली मिलें 200 ली. प्रति टन गन्ने की दर से दूषित जल चीनी मिलों के बाहर भेज सकती हैं लेकिन अब इसकी मात्रा पर नियंत्रण करते हुए 2018 तक 180 ली./टन गन्ना और मार्च 2019 तक 160 लीट/टन गन्ना करनी होगी।

ताजे पानी के प्रयोग पर लगाम लगाया है। 2018 तक 50 लीट/टल गन्ना एवं मार्च 2019 तक 30 ली./टन गन्ना उपयोग ताजे पानी का किया जा सकता है।

चीनी मिलों द्वारा बोरवेल से लिए जा रहे पानी एवं उसके विभिन्न स्थानों पर उपयोग के नियंत्रण रखने के लिए फ्लोमीटर लगाना होगा।

चीनी मिलों को अपने विभिन्न सेक्शनों से उत्सर्जित होने वाले दूषित जल की मात्रा पर नियंत्रण रखने के लिए भी फ्लोमीटर लगाना होगा।

ताजे पानी की खपत कम करने के लिए कंडनसेट पॉलिशिंग यूनिट, कूलिंग टॉवर आदि तकनीक का प्रयोग करना होगा।

प्लांटेशन व्हाइट शुगर बनाने वाली मिलों को सल्फेट रिमूवल सिस्टम एवं रिफाइंड शुगर बनाने वाली मिलों को ब्राइन रिकवरी सिस्टम लगाना होगा।

- प्रत्येक मिलों को रोजाना मिल से निकलने वाले दूषित जल व उपयोग किए जाने वाले ताजा जल की जानकारी सीपीसीबी को देना होगा।

दैनिक जागरण 24-03-2018

लगी मुहर भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने तैयार किया मानकों का नया चार्टर

हर चीनी मिल में लगाना होगा फ्लोमीटर

जागरण संवाददाता, कानपुर : देश भर में गंगा बेसिन में चल रही चीनी मिलों के लिए बनाए गए नए मानकों के चार्टर पर सहमति की मुहर लग चुकी है। तय हो गया है कि सभी चीनी मिलों में शुद्ध जल का दुरुपयोग रोकने व उत्प्रवाह नियंत्रण के लिए फ्लोमीटर लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूर्व में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रदूषण के मानकों में भी बदलाव किया गया है।

गंगा बेसिन में 88 चीनी मिलें संचालित हैं। इनसे निकलने वाले उत्प्रवाह से नदी में काफी प्रदूषण होता है। इस पर नियंत्रण के प्रयास में ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में समिति गठित की। इसमें आइआइटी, बनारस हिंदू विवि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रतिष्ठित चीनी मिलों के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने नए मानकों का चार्टर तैयार किया, जिस पर सुझाव और विमर्श के लिए उप्र, उत्तराखंड और बिहार की चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को एनएसआइ में बैठक हुई। उनके सामने चार्टर के बिंदु रखते हुए प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि वर्तमान में चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल के संदर्भ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केवल एक ही प्रकार के मानक निर्धारित किए गए हैं। जबकि इकाइयां भिन्न प्रकार की चीनी जैसे प्लांटेशन व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर आदि का निर्माण करती हैं। लिहाजा, इकाइयों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। उनके अनुसार अलग-अलग मानक निर्धारित किए हैं। हालांकि फ्लोमीटर सभी इकाइयों को लगाने होंगे। बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडीशनल डायरेक्टर एके विद्यार्थी, एनएसआइ के चीफ डिजाइन इंजीनियर जेपी श्रीवास्तव और बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डॉ. आरबी दानी भी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते अजीत विद्यार्थी, साथ में जेपी श्रीवास्तव व डॉ. आरबी दानी • जागरण

चार्टर के कुछ प्रमुख बिंदु : वर्तमान में प्लांटेशन व्हाइट शुगर बनाने वाली चीनी मिलें 200 लीटर प्रति टन गन्ने की दर से दूषित जल मिल के बाहर भेज सकती हैं। इन मानकों का कड़ा करते हुए इस मात्रा को घटा कर सितंबर 2018 तक 180 लीटर और मार्च 2019 तक 160 लीटर प्रति टन गन्ना करनी होगी। ताजे पानी की खपत को सितंबर 2018 तक 50 लीटर प्रति टन गन्ना और मार्च 2019 तक 30 लीटर प्रति टन गन्ना लाना होगा। इकाइयों में कंडेनसेट पॉलिशिंग यूनिट, कूलिंग टॉवर लगाने होंगे। प्लांटेशन व्हाइट शुगन बनाने वाली मिलों को ब्राइन रिकवरी सिस्टम लगाना होगा।

Times of India 24-03-2018

Effluent discharge norms should be made more stringent: Experts

TIMES NEWS NETWORK

Kanpur: The committee, constituted by the Central government, under the chairmanship of director, National Sugar Institute (NSI) for preparing a charter, met in the institute on Friday. The committee, after deliberating on major issues, interacted with sugar factory representatives to give final shape to this charter.

It may be mentioned that the Central government had constituted the committee to check effluent discharge by sugar factories, particularly those in the Ganga basin.

Central government had constituted the committee to check effluent discharge by sugar factories. The committee has experts from IIT-BHU, Central Pollution Control Board, sugar factories and sugar related organisations

The committee has experts from IIT-BHU, Central Pollution Control Board, sugar factories and sugar related organisations such as Indian Sugar Mills Association and UP Sugar Mills Association. The meeting was also attended by large number of representatives from sugar factories situated in Uttar Pradesh, Uttranchal and Bihar.

The committee discussed issues like fresh water consumption, waste water quality and quantity, technologies to be adopted for reducing fresh water usage and waste water discharge, process of effluent treatment for achieving recommended quality parameters of waste water discharge with the representatives of the sugar factories.

Prof. Narendra Mohan, director, National Sugar Institute and chairman, Committee of Experts, emphasised on making the effluent discharge norms more stringent but practically possible for environment protection. In spite of the fact that sugarcane contains 70% water which is recovered during processing, the sugar factories exploit natural resources for drawing huge quantities of water, he said.

"In addition to this, the quality and quantity of waste water being discharged from most of the sugar factories is a matter of concern and thus a charter is required to bring about a perceptible change in the situation", he added.

A total of eight points listed in the charter were discussed and deliberated in detail.

The charter emphasised on creating environment cells in sugar factories having qualified personnel for operation and maintenance of effluent treatment plants and analysis of treated and untreated waste waters. It was also proposed to ensure inspection ETP facilities in sugar factories.